<u>अति महत्वपूर्ण</u>

सं.ई-25013/2/2020-हिंदी-1950
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
हिंदी अनुभाग

906(द.) सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
दिनांकः 03 मई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए टिप्पण/आलेखन नकद पुरस्कार योजना वर्ष 2020-2021 के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का विवरण मंगवाने के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ की राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग, (मुख्यालय) में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों [बहुकार्य निष्पादकों (एम टी एस) को छोड़कर) के लिए राजभाषा विभाग की टिप्पण- आलेखन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान सर्वाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करनेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त योजना का विवरण इस प्रकार हैः-

1. पात्रता	:	**वे सभी कर्मचारी जो वर्ष के दौरान 20,000 शब्द मूल रूप से हिंदी में लिखते हैं, इस योजना में भाग ले सकते हैं ।**			
2. पुरस्कार	:	**प्रथम पुरस्कार**	-	(2)	**5000/-रूपए**
	:	**द्वितीय पुरस्कार**	-	(3)	**3000/-रूपए**
	:	**तृतीय पुरस्कार**	-	(5)	**2000/-रूपए**
3. विशेष	:	**हिंदीतर भाषी प्रतियोगियों को अर्थात जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया और असमी है, उन्हें 20 प्रतिशत अंकों का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा ।**			
4. अवधि	:	**वित्तीय वर्ष, 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक**			

अतैव, जो अधिकारी/कर्मचारी वर्ष 2020-2021 की टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक है, वे अपने द्वारा हिंदी में किए गए काम का ब्योरा, अपने नियंत्रक अधिकारी से सत्यापित करवाकर संलग्न प्रपत्र में भरकर **01 जुलाई, 2021** तक हिंदी अनुभाग को अवश्य भिजवा दें।

नोट: सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्य का ब्यौरा देते समय प्रत्येक फाइल का नम्बर और उसमें लिखे गए शब्दों की अनुमानित संख्या का उल्लेख अवश्य करें। पुरस्कार निर्धारण हेतु उनके कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जाएगी।

संलग्नक: यथोक्त

(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (रा.भा.)
बीपीएल: 3720

1. सभी समन्वय/निदेशालय/अनुभाग, के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
2. सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
5. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।

प्रपत्र

सरकारी कामकाज में हिंदी किए गए कार्य का ब्यौरा

(दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक)

क्र.सं.	दिनांक	कुल फाइलों/रजिस्टरों आदि की संख्या जिसमें हिंदी में काम किया है।	हिंदी में लिखे गए टिप्पण/ आलेखन की संख्या	शब्दों की संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)

हस्ताक्षर

नामांकन प्रपत्र

नाम	:
पदनाम	:
निदेशालय/अनुभाग/एकक	:
इंटरकाम एवं दूरभाष संख्या	:
कमरा संख्या	:
हिंदी भाषी/हिंदीतर भाषी	: